

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 1973/जैष्ठ 31, 1895

No. 226] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 1973/JYAISTHA 31, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संध्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 21st June, 1973

S.O. 348(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Appli- cant	Name of the Pro- ducer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 252	294.00 Metres	Director of Publicity, Government of Maha- rashtra, Bombay-34.		For release in Maharash- tra Circuit only New and current events.
2.	Dane Dane Par Likha Hai Khane Wale Ka Naam	122.00 Metres		Do.	'Educational'
3.	Pani Pani	171.00 Metres		Do.	Do.
4.	Pratyakala Dhanya	135.00 Metres		Do.	Do.

(No. F. 28/4/73-PP Ap. 1805)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1973

एस० ओ० 348 (अ) - इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, इसद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के हफ्तासों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ---

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16,
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	प्रावेक्षक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) महाराष्ट्र समाचार संख्या 252		294.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।		समाचार और सामयिक) घटनाओं की फिल्म केवल महाराष्ट्र मर्किट के लिये)।
(2) दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।		122.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई, 34।		'शिक्षा संबन्धी फिल्म' (केवल महाराष्ट्र मर्किट में रिलीज करने के लिये)
(3) पानी पानी		171.00 मीटर	—तथैव—		—तथैव—
(4) हर एक को धान्य		135.00 मीटर	—तथैव—		—तथैव—

[संख्या का० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1805]

S.O. 349(B).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film.	Length 35 mm	Name of the Appli- cant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R.No.1285	205.00 Metres	Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.		For General and "News and Current events".
2.	The Preamble	160.00 Metres		Do.	For General 'Educational'
3.	Ab Aisa Kyo ?	253.00 Metres	Shri Kul Bhushan Anand, D-19, Hyderabad Estate, Bombay-26.		Do.

[No. F. 28/4/73-FP App. 1806]

एस० नो० 349 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० नो० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घट- नाओं की फिल्म है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1285		205.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26		समाचार और साम- यिक—घटनाओं की फिल्म जनरल रिलीज के लिए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2)	दी प्रीएम्बल	160.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पडर रोड, बम्बई-26।	जलरल रिलीज के लिए-शिक्षा संबन्धी।	
(3)	अब ऐसा क्यों ?	253.00 मीटर	श्री कुलभूषण आनंद जी, 19-हैदराबाद एसटेट, बम्बई-26	—तथैव—	

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी० परिशिष्ट-1806]

S. O. 350 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

S.No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
I.N.R. No. 1285 (Northern Edition)	290.00 Metres	Films Division, Govern- ment of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.			Film dealing with news and current events (For release in Northern States, viz, Haryana, J & K, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, U.P., Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli Admn. Delhi Administration, Himachal & Pondicherry.

[No. F. 28/4/73-FP App. 1807]
HARJIT SINGH, Under Secy.

एस० ओ० 350 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में

दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के स्थान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डॉकुमेंट्री फिल्म है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1285 (उत्तरी संस्करण)	290.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड, बम्बई-26।	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल उत्तरी प्रदेशों- हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार टापू, दादरा और नागर हवेली प्रशासन, पांडाचेरी और हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन के लिए)।	

[सं० फा० 28/4/73-एफ पी परिशिष्ट-1807]

हरजीत सिंह, अवसर सचिव।